निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–107/15
दायरा दिनांक :–11.08.2015
निर्णय दिनांक :–12.05.2022

उनवान

1. बनवारी लाल पुत्र श्री केदारदास जाति बैरागी निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील व जिला बारां।
2. घीसी बाई बेवा श्री केदारदास जाति बैरागी निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील व जिला बारां।
3. द्वारका बाई पुत्री श्री केदारदास जाति बैरागी पत्नी प्रभुलाल निवासी बमूलिया गजनपुरा हाल राजपुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :–12.05.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाडा– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बमूलिया तहसील व जिला बारां में खसरा नं0 399 की रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 489 की रकबा 1.48 है0, खसरा नं0 530 की रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 531 की रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 535 की रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 536 की रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 537 की रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 538 की रकबा 2.03 है0 कुल किता 8 रकबा 6.45 है0 आराजियात स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री चतरभुज जी महाराज विराजमान के नाम से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात के वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नं0 410 की रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 [illegible] रकबा 1 बिघा 7 बीस्वा, खसरा नं0 457 की रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 497 [illegible] रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 500 की रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 501 [illegible] रकबा 13 बीघा 13 [illegible] खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नं0 499 की रकबा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा दर्ज थी जिसमें चतरभुज जी विराजमान पुजारी केदारदास पुत्र श्री गटटू दास जाति बेरागी निवासी मूण्डली बिसोती तहसील अटरू हाल आबाद गजनपुरा का नाम, राजस्व रिकार्ड में दर्ज था।

उक्त आराजियात पर वादीगण कमांक 1 व 3 के पिता व 2 के पति व उनके पिता के समय से ही अर्सा करीबन 100 वर्षो से लगातार काबिज काश्त करते चल आ रहे है। तथा वर्तमान में वादीगण ही उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है।

वादीगण कमांक 1 व 3 के पिता व 2 के पति केदारदास का करीबन 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान वादी0 ही है। वादीगण कमांक 1 व 3 के पिता व 2 के पति ने व वादी कमांक 1 ने माननीय न्यायालय के यहां अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2012 को पारित कर दिया गया था जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता/पति ने न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा के यहां उक्त आदेा/निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें भी माननीय न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा वादीगण का ही कब्जा माना गया है। माननीय न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा ने भी दिनांक 21.11.2013 को निर्णय पारित कर दिया था जिसके विरूद्ध वादीगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर केम्प कोटा के यहां अपील पारित की थी। जिसका निर्णय भी दिनांक 23.05.2015 को हो चुका है।

वादीगण का अपने दादा/ससुर गटटूदास तब जीवित थे जब तक गटटूदास जी की उक्त आराजियात पर काबिज काश्त थे। तथा गटटूदास जी के स्वर्गवास होने के बाद वादीगण कमांक 1 व 3 के पिता व 2 के पति केदारदास उपरोक्त वर्णित आराजियात पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा केदारदास जी के स्वर्गवास के बाद से वादीगण ही उपरोक्त वर्णित आराजियात पर काबिज काश्त करते चल आ रहे है। जिसको करीबन 100 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है। जिससे वादीगण का उक्त आराजियात पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। इस कारण से वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात को स्वयं के नाम बहेसियत खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा पाने के व खातेदारी की घोषणा करवाकर खातेदार कृषक घोषित करवाने के वेधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर जो बमूलिया/गजनपुरा में स्थित है जिसकी पूजा अर्चना वगै0 भी वादीगण करते है तथा वादीगण जो पूर्व वादीगण के पूर्वज गटटूदास व उनके स्वर्गवास के वाद केदारदास जी तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण ही उक्त मंदिर ठाकुरजी महाराज विराजमान चतरभुज पूजा अर्चना करते आ रहे है। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की और से जवाब पेश नहीं होने के कारण उनका जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत 2069–72 खाता सं0 226, नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत 2045–48, खाता सं0 119, नकल ,खाता मोका सम्वत 2006–2009, नकल खाता मोका सम्वत 2006–09, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–48, खाता सं0 96, नकल पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.06.2012, नकल निर्णय दिनांक 23.04.2015 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर, नकल निर्णय दिनांक 21.11.2013 माननीय न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा, नकल निर्णय दिनांक 26.11.2012 न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बारां पेश किया गया। साक्ष्य वादी में बनवारी, रामकरण, रामस्वरूप, देवलाल के शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया में स्थित है जिस पर वादी कम 1 व 3 के पिता व 2 के पति व उनके पिता के समय से लगभग 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री चतरभुज जी महाराज विराजमान के खाते दर्ज चली आ रही है। पुजारी केदारदास पुत्र श्री गटटू दास जाति बेरागी निवासी मूण्डली बिसोती तहसील अटरू हाल आबाद गजनपुरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। हमने दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर किया है। माफी मंदिर की भूमि है तहसीलदार के यहां पुजारी दर्ज है यहां से दादाजी के नाम भी उनके मरने के बाद वारिसान के नाम आ गई लगभग 100 वर्षो से विवादित भूमि पर हमारा कब्जा चला आ रहा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर हमारे खाते दर्ज की जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राममम बमूलिया सम्वत '2069–72 खाता सं0 226 में मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत 2045–48, खाता सं0 119 में मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान सा0 देह दर्ज जमाबन्दी है। नकल खाता मोका सम्वत 2006–09 में माफी मंदिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान जिसमें केदार पुत्र गटटू दास बैरागी निवास मूडला बिसोती तहसील अटरू बालिग वली केसर बहन दर्ज है। उक्त खाता मोका की नकल में कम सं 4 पर इन्तकाल नं0674 से बजाय गट्टूदास के केदार के नाम दाखिल खारिज मंजूर हुआ का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत 2015–24 खाता सं0 96 में माफी मंदिर चतुर्भुज जी विराजमान में केदारदास पुत्र गट्टूदास कोम बेरागी दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मंदिर श्री ठाकुर श्री महाराज, चतुर्भुज जी महाराज विराजमान देह की दर्ज चली आ रही है मंदिर की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

Scanned with CamScanner

को वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया है मंदिर की भूमि से पुजारीयों के नाम राज0 सरकार का पत्र कमांक 4–2(4) राज0–4/98/37 दिनांक 31.12.1991 से हटाये गये है वादी द्वारा प्रा0पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत पुनः नाम दर्ज करवाने हेतु पेश किया गया। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2012 को प्रा0 पत्र खारिज किया गया जिसकी अपील मान0 न्यायालय अति0 संम्भागीय आयुक्त कोटा में की गई। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2012 बहाल रखा गया तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई उक्त दोनों निर्णयों के असंतुष्ठ होकर प्रार्थी द्वारा मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई माननीय यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा हस्तगत प्रकरण धारा 9 अधिनियम से सम्बधित नहीं है इस संबंध में दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय उचित एवं विधि संगत है दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दिये गये है। जिनमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण दिनांक 23.04.2015 को खारिज की गई। इससे यह तथ्य सामने आते है कि वादी द्वारा पूर्व में भी धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण पेश किया गया जो तीनों न्यायालयों में खारिज किए गये। वादी द्वारा पुनः वादपत्र खातेदारी एवं घोषणा का पेश किया है भूमि विवादित भूमि माफि मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान के खातेदारी में है। राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत दी गयी खातेदारी अंकन को राजस्व रेकार्ड(जमाबन्दी) से बिना किसी रेफरेन्स प्रा0 पत्र पर पारित विधिक आदेश के दिनांक 31.12.91 की पालना में नाम हटा दिये गये थे। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाहता है जो दिया जाना सम्भव नहीं है अतः वादी का वाद सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 107/15	धारा अन्तर्गत 88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :–12.05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री अरविन्द सिंह हाडा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. बनवारी लाल पुत्र श्री केदारदास जाति बैरागी निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील व जिला बारां।
2. घीसी बाई बेवा श्री केदारदास जाति बैरागी निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील व जिला बारां।
3. द्वारका बाई पुत्री श्री केदारदास जाति बैरागी पत्नी प्रभुलाल निवासी बमूलिया गजनपुरा हाल राजपुरा तहसील व जिला बून्दी।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 12.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य प्रत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner